18/10/19 पत्रावली पेश हुई। वादिया व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वाद-2 आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। वादिया व उनके वकील की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल अनुसार होकर दफ्तर में दाखिल हो तथा बाद तामील नियमानुसार हो।